cause notice to cement companies for taking penal action against them for not packing cement in jute bags;

(b) whether the views of the users and consumers have been considered by Standing Advisory Committee of the Textile Ministry as directed by the Supreme Court in April last, while upholding the constitutional validity of Jute Packaging Act, and if not, the reasons for issuing show cause notice without inviting the views of users and consumers; and

(c) the steps proposed to be taken to save the Cement Industry which is heading for a serious crisis?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R. L. JALAPPA): (a) It is a fact that during December, 1996-January 97 the Jute Commissioner issued show cause notices to 24 cement companies for continuing violation of statutory reservation order issued by Government on 15-3-1995 stipulating packing of not less than 50% production/despatch of cement in jute packaging material.

(b) In compliance to directive of Supreme Court in its verdict given in April, 1996 the Standing Advisory Committee heard representatives of various user industries including cement industry on 21.6.1996. The Committee subsequently held its meetings on 5-7-1996, 18-9-1996 and 17-12-1996.

(c) There is no serious crisis in the Cement Industry.

Setting up of Technology Upgradation Fund for Textile Sector

554. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a Rs. 5000 crore technology upgradation fund during the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the proposed fund is envisaged to bring about substantial improvement in export performance of the textile sector; and

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) to (d) A proposal is under formulation to facilitate modernisation, through technological upgradation, of the textile industry. The intended objective is to improve production and productivity of the Indian textile industry to make it more competitive, including in the export market. Details of the Scheme are yet to be worked out.

विभिन्न संगठनों द्वारा कपास का निर्यात

555. श्री सोमपाल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष तथा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा कपास की कितनी-कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा इन संगठनों के नाम क्या-क्या है और किस कीमत पर यह निर्यात किया गया;

(ख) भारत सरकार के उस विभाग या समिति का नाम क्या है जो कपास निर्यात करने संबंधी निर्णय लेती है;

(ग) ऐसे निर्यात किस आधार पर किये जाते हैं; और

(घ) भारत सरकार द्वारा गठित कपास सलाहकार परिषद् के वर्तमान ढांचे इसके पदाधिकारियों की सूची तथा उनके नियुक्ति संबंधी मानकों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) विवरण-I संलग्न है (**नीचे देखिए**)।

(ख) और (ग) निर्यात के लिए अनुमति दी जाने वाली कपास की मांग संबंधी निर्णय वस्त्र मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। कपास निर्यात कोटों की घोषणा करते समय सरकार एक ओर तो कपास उपजकर्ताओं तथा दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ता क्षेत्र, विशेषकर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र (हथकरघा बुनकरों तथा खादी उद्योग सहित) के हितों का सन्तुलन करने का प्रयास करते है। उत्पादन, उपलब्धता, घरेलू मांग, खेती की संभावना, कीमत प्रवृतियों आदि के अनुमानों सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) वर्तमान कपास सलाहकार बोर्ड का गठन संलग्न विवरण-II पर दिया गया है (**नीचे देखिये**)। बोर्ड में प्रासंगिक हितों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह बोर्ड सरकार को सामान्यतः कपास नियन्त्रण आदेश, 1986 के कार्यक्षेत्र के भीतर मामलों सहित कपास के उत्पादन, उपभोग तथा विपणन संबंधी मामलों पर सलाह देता है तथा साथ ही कपास वस्त्र मिल उद्योग, कपास उपजकर्ताओं, कपास व्यापार, सरकार के बीच सम्पर्क के लिए एक फोरम भी प्रदान करता है।